न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 25/2017
RCMS Case No. 2017/00223

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
हुकमसिंह गोदीपुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी केलवाद तहसील सोजत		1 सवाईसिंह पुत्र केसरसिंह 2 कालूसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी केलवाद तहसील सोजत 3 तहसीलदार सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

–: निर्णय :–

दिनांक : 27/02/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम केलवाद तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 277 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 27.06.1992 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम केलवाद के खसरा नम्बर 134, 135, 142 की भूमि भंवरसिंह, सवाईसिंह व कालूसिंह पि0 केसरसिंह की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। भंवरसिंह के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण दायर किया गया, उसमें अपीलाण्ट को न तो सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया तथा न ही अपीलाण्ट को किसी भी रूप में सुना गया, जबकि अपीलाण्ट भंवरसिंह का गोदीपुत्र था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भंवरसिंह को लाऔलाद फौत बताकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरकरण दायर कर जैर अपील आदेश के जरिये स्वीकृत किया, जो विधि विरूद्ध है। जबकि भंवरसिंह की अन्य सह खातेदारी भूमि खसरा नमबर 128, 130, 133, 137, 138, 141, 143, 145, 183 व 542 में भंवरसिंह की मृत्यु के बाद अपीलाण्ट का नाम बतौर गोदीपुत्र नामान्तरकरण दायर किया गया है। अपीलाण्ट भंवरसिंह का गोदीपुत्र है तथा गोदनामा न्यायालय में प्रदर्शित करवाया गया है, जिसके आधार पर निर्णय पारित किया गया है एवं अपीलाण्ट का नाम बतौर गोदीपुत्र राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया है। जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व अपीलाण्ट को न तो सुनवाई का अवसर दिया गया तथा न ही कोई जानकारी दी गई। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील नामान्तरकरण खातेदार भंवरसिंह पुत्र केसरसिंह के फौत होने पर उसके भाई सवाईसिंह, कालूसिंह पि0 केसरसिंह के नाम से दायर किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को भंवरसिंह का गोदीपुत्र होकर जैर अपील नामान्तरकरण की भूमि में अपना अधिकार होना बताते हुए नामान्तरकरण को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रश्न म्याद का है, तो इस सम्बन्ध में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पक्षकारो के मध्य हक अधिकार जैसे जटिल बिन्दुओं का प्रश्न हो, वहां म्याद के बिन्दु पर प्रकरण का निर्धारण नही किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना ही न्यायोचित माना गया है। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय में उपस्थित नही हुए। अपीलाण्ट द्वारा गोदीपुत्र होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अपीलाण्ट भंवरसिंह का गोदीपुत्र था। इस प्रकार अपीलाण्ट अपील में वर्णित तथ्यों को साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम केलवाद तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 277 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 27.06.1992 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अधीनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/02/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली